प्रेस नोट थाना बण्डा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 12.01.2026

"थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत धोखाधड़ी से संबंधित अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ, के पर्यवेक्षण में चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी, वांछित/वारंटी/जिलाबदर अपराधियों की तलाश, अवैध शराब-शस्त्र/अफीम-चरस की बिक्री एवं निर्माण की रोकथाम, संदिग्ध व्यक्तियों-वाहनों की चेकिंग तथा गश्त के दौरान चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बण्डा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.07.2025 वादिनी श्रीमती जगदेवी पत्नी मेवाराम निवासी उगनपुर, थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर द्वारा थाना बण्डा पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया था कि वादिनी के पति मेवाराम के बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच बण्डा में संचालित खाता संख्या 0829100008167 से दिनांक 04.01.2025 एवं 15.01.2025 को क्रमशः ₹90,500/- तथा ₹1,20,000/- की धनराशि अभियुक्त रामनरेश पुत्र भगवानदास निवासी आलमपुर पिपरिया, थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर द्वारा बैंक कर्मियों की मिलीभगत से तथा श्यामाचरण पुत्र दुलारे लाल से चेक लेकर फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ीपूर्वक निकाल ली गई थी । वादिनी के पति की मृत्यु दिनांक 07.04.2024 को हो चुकी है । वादिनी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 355/2025, धारा 319(2)/318(4)/336(3)/340(2) BNS बनाम रामनरेश पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा हस्ताक्षर मिलान कराये जाने पर हस्ताक्षर फर्जी पाए गए, जिसके उपरान्त मुकदमे में धारा 338 BNS की वृद्धि की गई है। विवेचनात्माक कार्यवाही के दौरान उ0नि0 श्री शिव कुमार मय हमराह का0 2054 विक्रान्त मलिक द्वारा देखरेख शान्ति व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, रोकथाम जुर्म-जरायम तथा अभियान अवैध शस्त्र/अवैध मादक पदार्थों की बिक्री-निर्माण की रोकथाम के क्रम में मुखबिर की सूचना पर उक्त मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त रामनरेश पुत्र भगवानदास उर्फ भगवानदीन निवासी ग्राम आलमपुर पिपरिया थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर उम्र लगभग 47 वर्ष को दिनांक 12.01.2026 को समय 10:40 बजे सुनासिरनाथ मंदिर मोड़ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

रामनरेश पुत्र भगवानदास उर्फ भगवानदीन निवासी ग्राम आलमपुर पिरपिया थाना बण्डा शाहजहाँपुर उम्र लगभग 47 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

थाना बण्डा क्षेत्रांतर्गत सुनासिर नाथ मन्दिर जाने वालो मोड से पहले से दिनांक 12.01.26 को समय करीब 10.40 बजे

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 355/2025 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/340(2)/338 बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 शिव कुमार थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर
3. का0 2054 विक्रान्त मलिक थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर